न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 71/2022

1 बनारसी देवी पत्नी नागरमल उम्र 68 साल पेशा खेती जाति जाट निवासी महला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. ।
2 सुरेश कुमार पुत्र नागरमल उम्र 43 साल पेशा नौकरी व खेती जाति जाट निवासी महला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 भोपाल पुत्र गोकुलराम उम्र 80 साल पेशा खेती जाति जाट निवासी महला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. ।
4 शीशराम पुत्र गोकुलराम उम्र 58 साल पेशा खेती जाति जाट निवासी महला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. ।
5 जमीन देवी पत्नी भोपालराम उम्र 74 साल पेशा खेती व गृहणी जाति जाट निवासी महला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 सीताराम पुत्र बीरबल उम्र 53 साल पेशा खेती जाति जाट निवासी महला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस/प्रार्थीगण संख्या 1 ल 6

बनाम

1 गिरधारीलाल पुत्र शीशपाल दूत जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 जानकी देवी पत्नी शीशपाल दूत जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 धर्मपाल पुत्र शीशपाल दूत जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

4 बलबीर पुत्र शीशपाल दूत जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
5 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शीशपाल दूत जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 सुमेर सिंह पुत्र शीशपाल दूत जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
7 इन्द्राज पुत्र बालूराम गढ़वाल जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
8 मदन पुत्र बालूराम गढ़वाल जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
9 सुलतान पुत्र बालूराम गढ़वाल जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
10 चन्दा बेवा बालूराम गढ़वाल जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
11 हरिराम पुत्र विद्याधर जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
12 जयराम पुत्र विद्याधर जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
13 हरकोरी बेवा विद्याधर जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
14 नेमीचन्द पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी श्यामजी मंदिर के पास खेदड़ो की ढाणी तन जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
15 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खींवासर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. जरिये शाखा प्रबंधक
16 बैंक एस.बी.बी.जे. शाख केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. । जरिये शाखा प्रबंधक।
17 तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण

18 दयाराम पुत्र बीरबल उम्र 48 साल पेशा खेती जाति जाट निवासी महला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. ।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

19 विजयप्रकाश पुत्र बीरबल उम्र 42 साल पेशा खेती जाति जाट निवासी महला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. ।

20 प्रधान पुत्र बीरबल उम्र 38 साल पेशा खेती जाति जाट निवासी महला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस / प्रार्थीगण नं. 7 लगा. 9

प्रथम अपील अ. सेक्शन 225 आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांकित 22.03.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी बनारसी देवी वगै. बनाम गिरधारीलाल वगै. प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.नं. 122 / 2019

उपस्थिति :

1. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 122 / 2019 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए आरटीएक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 644, 645, 646 वाके ग्राम छावसरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर ये बखुबी साबित है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 644, 645, 646 वाके ग्राम छावसरी पटवार हल्का छावरी तहसील उदयपुरवाटी में रिहायशी मकान बनाकर काबिज है। उपरोक्त आराजियात में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 629 व 647 वाके ग्राम छावसरी के उत्तर दिशा मे से होकर जो कटानशुदा रास्ता झुन्झुनूं से उदयपुरवाटी जाने वाली सड़क के पाडा स्टेण्ड से फटकर ग्राम छावसरी को जो कटानशुदा रास्ता जाता है। उस रास्ते से फटकर उक्त खेत खसरा नम्बर 629 व 647 के उत्तरी दिशा से दखिण दिशा में 15 फीट का चौड़ा रास्ता में से होकर 50–60 सालों से अपीलान्ट/प्रार्थीगण सदैव से बिना किसी रूकावट के आवागमन करते आये है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थीगण ऊंट गाडा, ट्रेक्टर, पशु व फसल कटाने, लाटने हेत सदैव आते जाते रहे है तथा खसरा नम्बर 647 अपीलान्टस/प्रार्थीगण नम्बर 2, 4, 5 व रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी काश्त व कब्जे की भूमि है जिसमें से होकर बिना किसी रूकावट के आवागमन व ऊंटगाडा व ट्रेक्टर पशु आदि आते जाते है तथा इसी प्रकार से खसरा नम्बर 629 में से भी प्रार्थीगण बिना किसी रूकावट के आवागमन किया है परन्तु अप्रार्थीगण दायरी प्रार्थना पत्र से पूर्व में ही आवागमन में बाधा पहुंचाना अनाधिकृत रूप से शुरू कर दिया तथा खसरा नम्बर 647 की भूमि संयुक्त खातेदारी में होने के कारण अप्रार्थीगण नम्बरान 1 लगायत 6 आवागमन में अनाधिकृत रूप से बाधा पहुंचाना शुरू कर दिया तथा प्रार्थीगण के उक्त रास्ता जो खसरा नम्बर 629 व 647 के उत्तर दिशा में होकर जो छावसरी को जाता है, के अलावा अन्य कोई नजदीक कटानशुदा व

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सुगम रास्ता नहीं है इसलिये न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये था। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण/अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर अहम कानूनी भूल की है। ज़ब प्रार्थीगण/अपीलान्टस के रास्ते बंद कर दिये तो प्रार्थीगण अपने बच्चो को स्कूल में भेजने के लिए व बीमार होने पर बीमार व्यक्ति अस्पताल पहुंचाने व ईलाज करवाने हेतु पड़ौसी खेतों से पुछकर जाने लगे, कभी किसी के खेत से तथा कभी किसी के खेत सवे जाते तथा जो तथाकथित लिखावट है, उस लिखावट में दर्ज खातेदार व अन्य व्यक्ति भी मुकर गये और प्रार्थीगण का आना जाना भी बन्द कर दिया। उक्त तथाकथित लिखावट पर विचारण न्यायायल ने विश्वास कर अहम कानूनी भूल कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर अहम कानूनी भूल की है बल्कि न्यायहित में उपरोक्त कारणों से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाना चाहिये था। इसलिये भी विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 22.03.2022 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय की पत्रालवी पर तहसीलदार गुढ़ागौड़जी की मौका जांच रिपोर्ट है। उस मौका जांच रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता पाडा स्टेण्ड से छावसरी को जो रास्ता खसरा नम्बर 629 व 647 के मध्य से कटानशुदा रास्ता निकलता है, उस रास्ते में से फटकर दक्षिण दिशा में फटकर खसरा नम्बर 643, 644, 645, 633 तक का रास्ता नजदीक दूरी का रास्ता है। तथाकथित तहसीलदार की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 629 में से जो रास्ते की भूमि जाती है, जिसकी दूरी 135 मीटर है यानि की 540 वर्गमीटर है तथा ये भी दर्ज है कि प्रार्थीगण वर्तमान मे आते है उसकी अनुमानित दूरी 310 मीटर है यानि की 1240 वर्गमीटर। जबकि अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत जो नजदीक से नजदीक दूरी का कटानशुदा रास्ता है, उस रास्ता से रास्ता दिये जाने का प्रावधान है तााि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को दुगुनी डी.एल.सी. रेट रास्ते की भूमि की बाबत देने को तैयार है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी (मुख्यालय झुन्झुनूं) * सीकर *

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है जबकि विचारण न्यायालय ने तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट पर कोई गौर नही किया व ना ही उक्त निर्णय पारित करते वक्त अपना माईन्ड अप्लाई किया और विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि काश्तकार की कृषि भूमि में आने जाने के लिये पूर्व में ही कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है जबकि इस तरह की ना तो कोई दस्तावेज साक्ष्य व ना ही कोई मौखिक साक्ष्य है इसलिये विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 22.03.2022 मय खर्चा काबिले खारिज है। प्रार्थीगण/अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 629 रकबा 2.33 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 व 14 की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि है। उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिये जाने बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 14 ने कोई जवाबदेही नहीं की है, इसकी मौन स्वीकृति है तथा जब एक सहखातेदार की स्वीकृति होती है तो सभी खातेदारों की सहमति मानी जाती है, इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर नहीं करने में अहम कानूनी भूल की है इसलिये भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 18 लगायत 20 प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण दर्ज थे परन्तु उक्त उनवानी अपील में अपीलान्ट शरीक नहीं हो सके क्योंकि वर्तमान में गांव महला की ढाणी तन टीटनवाड़ में मौजुद नहीं है, बाहर कमाने खाने गये हुये है। इसलिये उनको उक्त उनवानी अपील में रेस्पोडेन्ट बनाया गया है ताकि अपील में कोई कानूनी नुक्स ना रहे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय सही नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम छावसरी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 633, 643, 644, 645 में आने जाने के लिये अनावेदकगण की ग्राम छावसरी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 647 या 629 में से ट्रेक्टर ट्रोली आने जाने के लिए 15 फीट का रास्ता चाहा है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी से प्राप्त

अखिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रिपोर्ट दिनांक 22.02.2022 प्राप्त हुई। तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अन्य रास्ता मौके पर चालू है। रास्ता की लिखावट भी पत्रावली में शामिल है। धारा 251 ए के प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद होना साबित होने के कारण विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए आरटीएक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 644, 645, 646 वाके ग्राम छावसरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम छावसरी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 633, 643, 644, 645 में आने जाने के लिये अनावेदकगण की ग्राम छावसरी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 647 या 629 में से ट्रेक्टर ट्रोली आने जाने के लिए 15 फीट का रास्ता चाहा है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 22.02.2022 प्राप्त हुई। तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अन्य रास्ता मौके पर चालू है। रास्ता की लिखावट भी पत्रावली में शामिल है।

धारा 251 ए के प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद होना साबित होने के कारण विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)